


बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश


खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री नागेश्वर प्रसाद मंडल, आपूर्ति निरीक्षक, पोठिया, किशनगंज जिन्हें विभागीय आदेश ज्ञापांक 3289 दिनांक 25.05.2012 द्वारा निलंबित किया गया था, को माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या- 10539/2012 में दिनांक 19.07.2012 को पारित आदेश के आलोक में पत्र निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

2 श्री मंडल के विरुद्ध विभागीय ज्ञाप सं0- 4527 दिनांक 14.07.2012 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल पर निलंबन अवधि के वेतनादि भुगतान पर अलग से निर्णय लिया जाएगा।

  
(सुरेश ठाकुर)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्र08 गो0 आ0 किशनगंज 18/2012 - 6500 खाद्य, पटना दिनांक- 8.10.2012

प्रतिलिपि - जिला पदाधिकारी, किशनगंज/पूर्णिमा/संयुक्त आयुक्त विभागीय जांच, कोशी प्रमंडल, सहरसा-सह-संचालन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, किशनगंज/पूर्णिमा/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी /प्रशाखा - 03 प्रभारी/श्री अफजल आजमी, आई0टी0 प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री नागेश्वर प्रसाद मंडल, आपूर्ति निरीक्षक, पोठिया-सह-कोचाधामन, किशनगंज (सम्प्रति निलंबन अवधि में जिला आपूर्ति कार्यालय, पूर्णिमा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।